



चिकित्सा विभाग के कार्य

I सांविधिक कार्य

1. रेल दुर्घटनाओं के दौरान चिकित्सा बचाव और राहत प्रदान करना।
2. यात्रा के दौरान, जो यात्री बीमार हो जाते हैं, उनके लिए आपातकालिन चिकित्सा उपचार प्रदान करना।
3. पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा आयोजित करना।
4. सेवारत कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षा आयोजित करना।
5. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food safety and standards Act - F.S.S.A) अधिनियम जैसे वैधानिक शर्तों का कार्यान्वयन करना।

II औद्योगिक स्वास्थ्य

1. बीमारी के कारण कार्य-दिवस हानी को नियंत्रित करना।
2. इयूटी पर चोट के कारण कार्य-दिवस हानी नियंत्रित करना।
3. व्यावसायिक स्वास्थ्य।
4. पीने के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करना।

III स्वास्थ्य देखभाल

1. रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए पूर्ण व्यापक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करना।
2. कोंकण रेल के लाभार्थियों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर और स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करना।
3. चिकित्सा विभाग कर्मचारियों, उनके परिवारजनों तथा आश्रितों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।